न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 86/19 रिव्यू प्रार्थना–पत्र

नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया सी–38,सादुलगंज, बीकानेर जरिये उप महाप्रबंधक (तकनीकी) सहीराम पुत्र रामनाथसिंह जाति जाट निवासी सी–38 सादुलगंज, बीकानेर

–प्रार्थी

: ब ना म :

1. शुभकरणसिंह पुत्र अचलसिंह जाति चारण निवासी पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर
2. भुमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर

–अप्रार्थीगण

पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 47 व सपठित धारा 411 सी.पी.सी.

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा वकील प्रार्थी।
2. श्री धीरसिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं. 1

: आदेश :

दिनांक 15.10.19

1. प्रार्थी की ओर से यह रिव्यू पिटीशन इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.02.19 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।
2. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
3. वकील प्रार्थी ने रिव्यु पिटीशन के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 04.02.19 के समय प्रार्थी दस्तावेज की प्रतियां नही मिल पाने के कारण खण्डन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पूर्व प्रार्थन पत्र पोषणीय नहीं होने के संबध में कोई बहस प्रार्थी द्वारा नहीं की गयी थी। प्रकरण अभी भी भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। इस संबध में कोई भी रेफरेन्स आज दिनांक तक भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के यहां प्रस्तुत नही हुआ है ना ही वहां पर विचाराधीन है। श्रीमान को अधिनियम की धारा 3(जी) की उपधारा 5 के तहत बीकानेर जिले के लिए आरबींटेटर नियुक्त किया गया है। जहां तक प्रिंसीपल सिविल कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का सवाल है, उसके समक्ष उन्ही मामलो को सुना जा सकता है जो मामले इस कोर्ट को सक्षम ऑथिरिटी द्वारा रेफर किये जावे। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय था। श्रीमान जी द्वारा यह माना जाना कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बिना सिविलि न्यायालय में लम्बित प्रकरण बाबत बतौर आर्बीटेशन की कार्यवाही नही की जा सकती, कानून की मंशा के विपरित है। लोकधन के अपव्यय को रोकने के लिए रिव्यु पिटीशन स्वीकार की जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः रिव्यु पिटीशन स्वीकार कर आदेश दिनांक 04.02.19 ,खारिज फरमा कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 (जी) (5 व 6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 स्वीकार फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि रिव्यु प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत व बेबुनियाद है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.19 केवल मात्र अवार्ड दिनांक 21.03.16 व पूरक अवार्ड दिनांक 31.05.18 को पारित आदेश की बाबत प्रस्तुत आपत्तियों को रेफरेंस सक्षम प्राधिकरण में लम्बित होने के कारण प्राथमिक आपत्ति के आधार पर वैद्य रूप से दोनो पक्षो को सुनकर खारिज किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूरक अवार्ड की कार्यवाही की जाकर पूरक अवार्ड का रेफरेंस प्राधिकृत अधिकारी को भिजवाया जा चुका है। नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5 व 6) के प्रावधानो से पूर्व धारा 4 में स्पष्ट प्रावधान है कि विवाद की स्थिति में प्रिसिंपल सिविल न्यायालय ऑफ ओरिजनल ज्यूडिकेशन के जरिये रेफरेंस भेजने का प्रावधान है। नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 के तहत समस्त राजस्थान राज्य के लिए कानूनन सक्षम अधिकारी भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर में प्रिसिंपल कोर्ट, रेफरेंस कोर्ट, स्पेलियस किया जाकर क्षेत्राधिकार नियत हो चुका है व कार्यरत है। केवल मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने एवं प्रकरण को लंबा करने की नियत से जानबुझकर झूठे तथ्यो के आधार पर रिव्यु प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज के है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नेशनल हाईवे ऑथिरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा धारा 3 जी (5 व6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुकदमा सं. 09/19 राजस्व विविध में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.19 में प्रार्थी ने रिव्यु पिटीशन में जिन बिन्दूओ का उल्लेख किया है उन बिन्दुओ का परिसीलन एवं उल्लेख करते हुए गुणावगुण पर विनिश्चय किया गया है। निर्णित प्रार्थना पत्र में जो अंकन किया गया है उसे " Error Apparent On The Face Of Record " नहीं माना जा सकता क्योंकि न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निष्कर्ष अंकित करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो उसे वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। प्रकरण में प्रार्थी ने ऐसा कोई तथ्य अथवा कथन उजागर नही किया है जिससे आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। पूर्व आदेश दिनांक 04.02.19 में "Error Apparent On The Face Of Record " प्रकट नहीं होने के कारण यह रिव्यु पिटीशन स्वीकार की जानी हम न्यायोचित नहीं पाते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यु पिटीशन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक 15.10.2019 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर